

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.  
सचिव  
ANSHULI ARYA, I.A.S.  
Secretary



भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

अ.शा. पत्र सं. 11034/06/2026-राजभाषा(नीति)

दिनांक: 11 जून, 2026

आयत्तीय संदेश / सचीवता

जैसा कि आप जानते ही हैं कि संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ से यह अपेक्षा की गई है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी के प्रगामी प्रयोग, उसके प्रचार और प्रसार की संवैधानिक अपेक्षाओं एवं दायित्वों का पालन करते हुए, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है।

2. माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता और मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग द्वारा अब तक पाँच अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन देश भर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर किया जा चुका है। वर्ष 2021 से हिंदी दिवस और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन संयुक्त रूप से वाराणसी, पुणे, सूरत, दिल्ली और गाँधीनगर में किया गया है। इन सम्मेलनों में देश भर के हजारों राजभाषा कार्मिकों, सेवियों एवं हिंदी प्रेमियों ने प्रतिभागिता की। इस वर्ष भी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के सानिध्य में हिंदी दिवस 2026 एवं छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन अत्यंत भव्य एवं गरिमामयी रूप में सिडको एग्जिबिशन सेंटर, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा।

3. आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा से जुड़े अधिकारियों और कार्मिकों को 14-15 सितंबर, 2026 को नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित होने वाले इस हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लेने का निदेश दें। मंत्रालय/विभाग आदि में सितंबर माह के दौरान हिंदी माह/पखवाड़े का आयोजन इस सम्मेलन से पहले अथवा इसके पश्चात किया जा सकता है। उस दौरान कृपया विभिन्न ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराएं जिससे राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग में वृद्धि हो और सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना अधिक से अधिक कामकाज मूलरूप से राजभाषा हिंदी में करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हों।

4. हिंदी पखवाड़े/माह के दौरान, ऐसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाएं जिससे सभी कार्मिक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम एवं नियम, राजभाषा नीति की मुख्य बातों और हाल ही में विकसित कराए गए हिंदी ई-टूल्स से परिचित हो सकें। प्रसंगवश यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत बने राजभाषा नियमों के नियम 12 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, नियम तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अपने कार्यालय में अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

5. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग ने अंग्रेजी से हिंदी और विलोमतः अनुवाद कार्य में सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से 'कंठस्थ' नाम से एक अनुवाद सॉफ्टवेयर का निर्माण सी-डैक पुणे के माध्यम से कराया था। अब इस सॉफ्टवेयर को 'भारती- बहुभाषी अनुवाद सारथी' नाम से जाना जाता है और यह अब सभी राज्यों की प्रथम आधिकारिक भाषाओं (first official languages) में अनुवाद करने में सहायता प्रदान करता है। कृपया सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें कि वे इस बहुभाषी अनुवाद सॉफ्टवेयर का अधिकाधिक लाभ उठाएं। कृपया इसकी इन्स्टैंट ट्रांसलेशन नामक सुविधा का इंटीग्रेशन अपने कार्यालय के ई-ऑफिस में भी करवाएं।

.....2/-

- 2 -

6. मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि 14-15 सितंबर, 2026 को मुंबई, महाराष्ट्र में होने वाले हिंदी दिवस एवं छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अपने मंत्रालय/विभाग के राजभाषा से जुड़े अधिकारियों/अनुवाद अधिकारियों एवं मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निदेश दें। कृपया अपने मंत्रालय/विभाग की ओर से सभी अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि को भी इस आशय के निदेश जारी कराएं।

शुभकामनाओं सहित

शुभेच्छु

अञ्जलि  
(अंशुली आर्या)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव